राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर

जवाहर लाल नेहरू मार्ग

क्रमांक : परीक्षा / 2026 / दिनांकः

प्राचार्य / प्राचार्या,
समस्त संघटक एवं सम्बद्ध महाविद्यालय /
परीक्षा आवेदन पत्र संग्रहण केन्द्र,
राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर।

विषयः– राष्ट्रीय शिक्षा नीति–2020 के तहत Internship के आयोजन के संबंध में।

संदर्भः– पत्र क्रमांकः परीक्षा / 2025 / 1589 दिनांक 17.11.2025 एवं क्रमांकः परीक्षा / 2025 / 1787 दिनांक 17.12.2025

महोदय / महोदया,

उपर्युक्त विषयान्तर्गत लेख है कि राजस्थान विश्वविद्यालय द्वारा वर्ष 2023 से स्नातक स्तर पर राष्ट्रीय शिक्षा नीति–2020 लागू की जा चुकी है। इस नीति के तहत स्वयंपाठी एवं नियमित (Non-Collegiate & Regular) विद्यार्थियों को स्नातक सेमेस्टर उपाधि पूर्ण करने हेतु Internship करना अनिवार्य है। Internship की प्रक्रिया पूर्ण करवाने हेतु आपके महाविद्यालय स्तर पर नोडल अधिकारी नियुक्त करना सुनिश्चित करें।

वर्तमान सत्र में सेमेस्टर पंचम् एवं सेमेस्टर षष्ठम् के नियमित एवं स्वयंपाठी विद्यार्थियों को दिनांक 31.05.2026 तक Internship पूर्ण करना आवश्यक है। आपके केन्द्र पर जिन स्वयंपाठी विद्यार्थियों द्वारा परीक्षा आवेदन पत्र जमा करवाया गया है। उनका प्रक्रियानुसार Internship हेतु पंजीकरण कर Internship करने के लिए संबंधित संस्था / केन्द्र आवंटित करें। Internship की अवधि 120 घंटे निर्धारित है में Internship पूर्ण कर सकते हैं। जिसका प्रमाण पत्र समस्त दस्तावेजों सहित आपके महाविद्यालय / केन्द्र पर जमा होगा तथा जिसे महाविद्यालय के नोडल अधिकारी द्वारा विश्वविद्यालय की वेबसाईट पर अपलोड करना होगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति–2020 के तहत आयोजित होने वाली Internship की प्रक्रिया हेतु विश्वविद्यालय नोटिफिकेशन–35 का आवश्यक रूप से अवलोकन करें।

भवदीय

Sd.

परीक्षा नियंत्रक

क्रमांक : परीक्षा / 2026 / 1728–1732 दिनांकः 27-2-2026

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रस्तुत हैः–

1. संयोजक, राष्ट्रीय शिक्षा नीति–2020, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर।
2. अतिरिक्त कुलसचिव, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर।
3. समस्त सहायक कुलसचिव, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर।
4. वरिष्ठ निजी सहायक, कुलगुरु / कुलसचिव, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर।

सहायक कुलसचिव (परीक्षा)

राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर

जवाहर लाल नेहरू मार्ग

क्रमांक : परीक्षा / 2026 / 1726 दिनांक: 27.2.2026

राष्ट्रीय शिक्षा नीति–2020 के तहत Internship संबंधी आवश्यक सूचना

1. राष्ट्रीय शिक्षा नीति–2020 के तहत स्वयंपाठी एवं नियमित (Non-Collegiate & Regular) विद्यार्थियों को स्नातक सेमेस्टर उपाधि पूर्ण करने हेतु Internship करना अनिवार्य है।
2. नोटिफिकेशन–35 में वर्णित प्रावधानुसार Internship संबंधित जानकारी हेतु नियमित विद्यार्थी स्वयं के महाविद्यालय एवं स्वयंपाठी विद्यार्थी परीक्षा आवेदन पत्र संग्रहण केन्द्र के नोडल अधिकारी से सम्पर्क करें।
3. वर्तमान सत्र् में सेमेस्टर पंचम् एवं षष्ठम् सेमेस्टर के नियिमत विद्यार्थी संबंधित महाविद्यालय तथा स्वयंपाठी विद्यार्थी परीक्षा आवेदन पत्र संग्रहण केन्द्र पर पंजीकरण करवाकर प्रक्रियानुसार निर्धारित संस्था / केन्द्र से Internship पूर्ण कर दिनांक 31.05.2026 तक समस्त दस्तावेजों सहित प्रमाण–पत्र अपने महाविद्यालय / संग्रहण केन्द्र पर जमा करवाना सुनिश्चित करें।
4. Internship करने के लिए किसी भी प्रकार के Skill से संबंधित संस्थाओं से सम्पर्क किया जा सकता है तथा सम्बद्ध महाविद्यालय अपने स्तर पर Internship प्रदाता संस्थाओं (सरकारी / निजी / अर्द्ध सरकारी / NGO) के साथ MOU कर सकते हैं।
5. Internship की अवधि 120 घण्टे में पूर्ण की जा सकती है, जिसका प्रमाण पत्र आवश्यक रूप से संबंधित महाविद्यालय / संग्रहण केन्द्र पर जमा करावें।
6. आवश्यकता होने पर विद्यार्थी Internship करने हेतु Internship करवाने वाली संस्था से ऑफर लेटर (Offer Letter) प्राप्त करें, तत्पश्चात् अपने संबंधित महाविद्यालय के नोडल अधिकारी से सहमति प्राप्त कर पंजीकरण करवाये।
7. निश्चित समयावधि में Internship पूर्ण न कर पाने की स्थिति में अंकतालिका जारी नहीं होगी।
8. संस्था प्रधान इसे सुनिश्चित करें कि सभी अध्यनरत विद्यार्थियों को Internship से संबंधित सूचनाएं प्राप्त हों।

26.02.26

परीक्षा नियंत्रक